



राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कामां, जिला डीग

क्रमांक/रीडर/2025/

दिनांक /07/2025

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नगर
जिला डीग।

विषय :- न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, डीग के निर्णय दिनांक 19.06.2025 की अनुपालना में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय के मुकदमा नं0 उनवान भगवानदेई बनाम गोपाल वगैरा की मूल पत्रावली/मिसल भिजवाये जाने के क्रम में।

प्रसंग :- रीडर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, डीग के पत्र क्रमांक :-रीडर/2025/145 दिनांक 11.07.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, डीग के प्रार्थना पत्र मुक्तकिली/16/2025 उनवान भगवानदेई पत्नी सुगनी बनाम श्री सर्वेश शर्मा हाल उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग व अन्य में निर्णय दिनांक 19.06.2025 से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय के मुकदमा नं0..... उनवान भगवानदेई बनाम गोपाल वगैरा के प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (आपके न्यायालय में) में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

अतः प्रासंगिक पत्र के क्रम में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय के मुकदमा नं0 112/2022 उनवान भगवानदेई बनाम गोपाल वगैरा की मूल पत्रावली/मिसल क्रमशः दावा किता-92 तथा मुकदमा नं0 108/2022 प्रार्थना पत्र टी0आई0 किता-17 को संलग्न पत्र दो प्रति में आपको भिजवाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति रसीद भिजवाये जाने का श्रम करें।

संलग्न :- (मु0नं0 112/2022 दावा किता-92)

(मु0नं0 108/2022 प्रा0पत्र टी0आई0 किता-17)

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग)

प्रतिलिपि :-

01. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, डीग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
02. रीडर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, डीग को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग)

